20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय मान.राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 /पीबीआर–17 निगरानी R-742-PBR/17

1– रघुवीर मुन्ना पुत्र जगन्नाथ बाढ़ई
2– बृजभान यिंह पुत्र हरतूम सिंह यादव
3– महिला नानोवाई पत्नि स्व.मुन्ना बंजारा
4– राजा, माधौ पुत्रगण स्व. मुंशीलाल बंजारा
5– नेपाल सिंह पुत्र रामबाबू यादव
सभी निवासी ग्राम बारोद तहसील आरोन
जिला गुना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर गुना ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 श्रीमान कलेक्टर गुना व्दारा प्रकरण कमांक 28/2012-1... स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–11–2016 के विरुद्ध)

## निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

ग्राम बारोद तहसील आरोन स्थित भूमि सर्वे कमांक ... रकबा 1–254 हैक्टर (जिसे आगे वादोक्त भूमि लिखा है) का पट्टा जगन्नाथ पुत्र फितूरीलाल कारीगर को तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 49 अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 13–5–1976 से प्रदान किया गया। पटटाग्रहीता जगन्नाथ की मृत्यु उपरांत वादोक्त भूमि उसके पुत्र रघुवीर एंव मुन्ना के नाम विरासत में

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–गुना

प्रकरण कमांक–निगरानी–742–पीबीआर/2017

रघुवीर आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 03–06–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्र. क्र. 28/2012–13/स्व–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 23–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य | |